डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 जून 2001—ज्येष्ठ 30, शक 1923

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप काम्प्लेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2001

अधिसूचना

सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-2 (660 मे. वा.)

संदर्भ सं. 01 : एसईसी:जीएन:26.—यथासंशोधित विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (2) के अधीन योजना की अधिसूचना.

जबकि यथासंशोधित विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उत्पादक कंपनी (आगे इसे उत्पादक कंपनी कहा जाएगा) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आगे इसे एनटीपीसी कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली में स्थित है, ने छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में सीपत सुपर थर्मल पावर चरण-1 1980 मेगावाट (3 x 660 मेगावाट) के चरण-2 के विस्तार के तहत एक 660 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित विद्युत् उत्पादन स्टेशन की स्थापना, निर्माण तथा प्रचालन संबंधी योजना तैयार की है.

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 29(2) के अधीन अंतिम रूप देने के पूर्व उत्पादक कंपनी से ऐसी योजना को संबंधित राज्य के सरकारी राजपत्र और ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिसे उत्पादक कंपनी आवश्यक समझे, में प्रकाशित कराने की अपेक्षा होती है; दिलचस्पी रखने वाले लाइसेंसधारी और अन्य व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर अभ्यावेदन कर सकते हैं.

इसलिए अब उत्पादक कंपनी एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अनुसार योजना निम्नानुसार प्रकाशित करती है :

1. **शीर्षक** : योजना को "660 मेगावाट क्षमता वाली सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2" कहा जाएगा, जिसे आगे सीपत एसटीपीपी चरण-2 कहा जाएगा.

2. **अवस्थिति** : प्रस्तावित सीपत एसटीपीपी चरण-2 के लिए संयंत्र सुविधा तथा टाउनशिप छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-1 के तहत अधिग्रहीत भूमि पर होगा. हालांकि इनटेक/मेकअप वाटर पंप हाउस के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किए जाने का प्रस्ताव है.

3. **योजना की मुख्य विशेषताएं** : प्रस्तावित सीपत एसटीपीपी चरण-2 में संबद्ध सुविधाओं, सहायक उपकरणों, स्विचयार्ड आदि सहित 660 मेगावाट की एक यूनिट की स्थापना की योजना है.

विद्युत् स्टेशन के लिए कोयला आपूर्ति कोरबा कोल फील्ड्स से की जाएगी तथा कोयला ढुलाई एनटीपीसी के स्वामित्वाधीन तथा उसके द्वारा संचालित एमजीआर के माध्यम से की जाएगी.

परियोजना के अंतिम चरण हेतु जल आपूर्ति हसदेव बराज जलाशय से निकलने वाली राइट बैंक कैनाल (आरबीसी) से की जाएगी. तथापि, आरबीसी के बंद रहने के एक माह की अवधि में पानी खुरंग जलाशय के लेफ्ट बैंक कैनाल (एलबीसी) से लिए जाने का प्रस्ताव है.

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परियोजना के लिए आवश्यक विद्युत पारेषण प्रणाली का विकास तथा कार्यान्वयन अपने व्यय पर करेगी तथा वही प्रयोज्य कानूनों के अंतर्गत प्रणाली हेतु आवश्यक अधिसूचना का भी प्रकाशन करेगी.

4. **योजना की अनुमानित लागत** : प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत रु. 2622.54 करोड़ (एक तिमाही 2000 मूल्य स्तर पर) तथा निर्देशात्मक अनुमानित संपूर्ण लागत रु. 3144 करोड़ है.

5. **लाभ** : उक्त योजना से छत्तीसगढ़ व अन्य राज्य तथा पश्चिमी क्षेत्र के संघशासित क्षेत्रों को लाभ मिलने की आशा है. इस योजना से 10वीं/11 वीं योजनावधि में लाभ मिलने प्रारंभ हो जाने की आशा है बशर्ते कि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाएं तथा वित्तीय व्यवस्था हेतु वित्तीय संस्थानों/बैंकों से करार हो जाए.

6. **विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम के अधीन उत्पादक कंपनी की शक्तियां** : यथासंशोधित विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसरण में एनटीपीसी उक्त अधिनियम के अधीन उपरोक्त योजना के प्रयोजन के लिए उत्पादक कंपनी में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा. एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यथासंशोधित विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 42 के अनुसार एनटीपीसी को स्वीकृत योजना का प्रारंभ और निष्पादन करते समय विद्युत् के पारेषण और वितरण के लिए तारों को बिछाने, खंभे, दीवाल, ब्रैकेट, पकड़ उपकरण और अन्य उपकरण रखने की सभी शक्तियां होंगी अथवा उत्पादक कंपनी के निर्माण कार्य के उचित समन्वय के लिए आवश्यक तार अथवा टेलीफोन संचार के पारेषण की वे सभी शक्तियां होगी जिन्हें तार प्राधिकारी सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले तार के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 की अधिनियम संख्या 13) के भाग-3 के अधीन रखते हैं. बशर्ते कि जहां स्वीकृत योजना यथा उपरोक्त ऐसी व्यवस्था नहीं करती वहां भारतीय

विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 19 तक के सभी उपबंध लागू होंगे.

उक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि इस प्रकार की दिलचस्पी रखने वाला कोई लायसेंसधारी अथवा अन्य व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो (2) महीने के भीतर उपरोक्त योजना के संबंध में अपना अभ्यावेदन कर सकता है, जिसके बाद आगे किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

आदेशानुसार
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
सही/
(अंजन कुमार वाजपेयी)
कंपनी सचिव
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप काम्प्लेक्स,
7, इन्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003.

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISES)

NTPC Bhawan, Scope Complex, 7-Insitutional Area, Lodhi Road,
New Delhi-110003

New Delhi, the 20th June 2001

NOTIFICATION

SIPAT SUPER THERMAL POWER PROJECT STAGE-II (660 MW)

Ref. No. 01 : SEC : GN : 26.—Notification of the Scheme under Section 29 (2) of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended.

WHEREAS in exercise of its power under Section 28 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended National Thermal Power Corporation Limited (hereinafter referred to as 'NTPC') having its Registered Office at NTPC Bhawan, Scope Complex 7-Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi, a Generting Company, set up by the Government of India under the aforesaid Act (hereinafter referred to as 'Generating Company') has prepared the scheme relating to establishment, construction and operation of coal based Generating Station of 660 MW capacity under Stage-II expansion of Sipat STPP Stage-I, 1980 MW (3x660 MW) in Bilaspur district of Chhattisgarh State.

AND WHEREAS under Section 29 (2) of the said Act, the Generating Company, before finalisation is required to cause such schemes to be published in the Official Gazette of the state concerned and in such local newspapers as the Generating Company may consider necessary, the licensees and other persons interested may make representations within two months from the date of publication of this Notification.

NOW THEREFORE, the Generating Company hereby publishes the scheme in terms of Section 29(2) of the aforesaid Act, as follows :—

1. **Title** : The Scheme shall be called "Sipat Super Thermal Power Project Stage-II" having 660 MW capacity, hereinafter called "Sipat STPP Stage-II".

2. **Location** : The proposed plant facilities and township for Sipat STPP Stage-II would be located on the land being

acquired under Stage-I of Sipat Super Thermal Power Project in Bilaspur district of Chhattisgrh State. Approximately 5 acres of land is however proposed to be acquired for intake/make up water pump house.

3. Salient features of the scheme : The proposed Sipat STPP Stage-II envisages setting up of one (1) unit of 660 MW alongwith all associated facilities, auxiliary equipment, Swithchyard etc.

The power station is envisaged to be supplied coal from Korba Coalfields and coal transportation is envisaged though a dedicated MGR to be owned and operated by NTPC.

The water requirement for the ultimate stage of the project will be met from Right Bank Canal (RBC) originating from Hasdeo Barrage pond. During the one month canal closure period of RBC, however, water is proposed to be drawn from Left Bank Canal (LBC) of Khurangreservoir.

Necessary power transmission system for the project will be evolved & implemented by Powergrid Corporation of India Ltd., at their own cost who will publish necessary notification etc., for the same under the applicable laws.

4. Estimated cost of the scheme : The estimated cost of the proposed scheme is Rs. 2622.54 crores (at I Qtr 2000 price level) and indicative estimated completed cost is Rs. 3144 crores.

5. Beneficiaries : The State of Chhattisgarh, other States and Union Territories of the Western Region are expected to benefit from the said scheme. The benefits of this scheme are expected to start during 10th/11th Plan Period subject to necessary approvals and tying up of financing arrangements with Financial Institutions/Banks.

6. Power of the Generating Company under Electricity (Supply) Act and Indian Telegraph Act. : In pursuance of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, NTPC shall exercise all the powers vested in a "Generating Company" under the said Act. for the purposes of aforesaid scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act., 1948, as amended, NTPC while undertaking and executing the sanctioned scheme shall have all the powers of placing of any wires, poles, wall brackets, stays, apparatus and other appliances for transmission and distribution of electricity or for the transmission of telegraphic, or telephonic communication necessary for the proper co-ordination of the works of the Generating Company all the powers which the Telegraphic Authority possesses under the Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (Act No. XIII of 1885), with regard to a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained. Provided that where a sanctioned scheme does not make such provision as aforesaid, all the provision of the Section 12 to 19 of the Indian Electricity Act, 1910 shall apply.

Notice is hereby given under-Section 29 (2) of the said Act that any licensee or other person so interested may make his/their representation of above scheme, if any, within two (2) months from the date of publication of this Notification after which no further representation will be considered.

By the order of
National Thermal Power Corporation Ltd.,
Sd/-
(ANJAN KR. BAJPAIE)
Company Secretary,
National Thermal Power Corporation Ltd.,
NTPC Bhawan, Scope Complex,
7-Institutional Area, Lodhi Road,
New Delhi-110003.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.